



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

P 1022-PB-17

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017- जिला ग्वालियर

- 1- लाखनसिंह पुत्र स्व. लालसिंह राजपूत
  - 2- श्रीमती कुमुदनी पत्नी लाखन सिंह
  - 3- मुनेन्द्र सिंह पुत्र लाखन सिंह
- निवासीगण - ग्राम मऊ तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) कृषक ग्राम जमाहर  
.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर (म.प्र.)
  - 2- श्रीमती शान्ति बेवा पत्नी स्व. रामस्वरूप
  - 3- वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामस्वरूप
  - 4- धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामस्वरूप
- निवासीगण - ग्राम मऊ तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) कृषक ग्राम जमाहर  
.....अनावेदकगण

श्री. चमोड-रुक्मिणी शशि,  
द्वारा आज दि. 01.4.17 को  
प्रस्तुत

वर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर  
द्वारा प्रकरण क्रमांक निल/2016-2017/अ-68 में पारित आदेश दिनांक  
निल के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन  
पुनरीक्षण

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1022 पीबीआर/17

जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-18	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री के०के०द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से श्री प्रखर डेगूला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है आवेदक अपना जबाव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अतः यह निगरानी प्रीमैच्योर होने से समाप्त की जाती है ।</p>	<p>  अध्यक्ष</p>